

प्रेस-विज्ञप्तिथाना कप्तानगंजगैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त अरुण कुमार यादव की करोड़ों की सम्पत्ति हुई जब्त

श्रीमान् जिलाधिकारी जनपद आजमगढ़ श्री राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ जनपद आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर आजमगढ़ के दिशा निर्देशन में अपराधियों की अवैध तरीके से अर्जित की गयी सम्पत्ति को धारा 14(1) उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट के तहत जप्तीकरण किये जाने विषयक चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अभियुक्त अरुण कुमार यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी एकडंगी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को मु०अ०सं० 148/2020 धारा 3(1) उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ में जिलाधिकारी महोदय जनपद आजमगढ़ के आदेश संख्या- 1568(2)/न्याय-सहायक दिनांक 24.05.2021 के अनुपालन में श्री शक्ति प्रताप सिंह, तहसीलदार बूढ़नपुर आजमगढ़ को प्रशासक नियुक्त किया गया था । जिनके द्वारा दिनांक 14.06.2021 को उक्त अभियुक्त अरुण कुमार यादव उपरोक्त का वाहन 1. ट्रक नं० UP 50 BT 0376 अनुमानित कीमत 12,00,000/- रुपया, 2. ट्रक नं० UP 50 BT 2877 अनुमानित कीमत 13,75,000/- रुपया, 3. स्कार्पियो गाड़ी नं० UP50AR8687 अनुमानित कीमत 5,64,000/- रुपया 4. मोटर साइकिल नं० UP 50 BC 6212 TVS SPORT अनुमानित कीमत 33,000/- रुपया (कुल अनुमानित कीमत रुपया 31,72,000/- रुपया) का कुर्क करके थाना स्थानीय पर दाखिल किया जा चुका था ।

पुनः आज दिनांक 28.06.2021 को श्री शक्ति प्रताप सिंह, तहसीलदार बूढ़नपुर आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त अरुण कुमार यादव उपरोक्त का शेष बचे वाहनो 1. ट्रक नं० UP 50 BT 5077 अनुमानित कीमत 18,00,000/- रुपया, 2. ट्रक नं० UP 50 BT 5076 अनुमानित कीमत 18,00,000/- रुपया 3. ट्रकनं० UP 50 BT 9477 अनुमानित कीमत 19,50,000/- रुपया 4. ट्रक नं० UP 50 BT 2876 अनुमानित कीमत 13,75,000/- रुपया , 5. ट्रक नं० UP 50 BT0377 अनुमानित कीमत 12,50,000/- रुपया , 6. बोलेरो नं० UP 50 BF 3227 अनुमानित कीमत 4,14,000/- रुपया (कुल अनुमानित कीमत रुपया 85,89,000/-) को कुर्क कर थाना कप्तानगंज आजमगढ़ पर दाखिल किया गया । इस प्रकार अभियुक्त अरुण कुमार यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी एकडंगी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ का कुल 10 वाहनो से कुल 1,17,61,000/- रुपया (एक करोड़ सतरह लाख एकसठ हजार रुपये) की कीमत के वाहनो का अन्तर्गत धारा 14(1) उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है ।